कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण बैतूल सामान्य वनमंडल (म.प्र.)

पता – कालेज रोड, गांधीनगर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल (म.प्र.) पिन : 460001
E-Mail dfotsbetul@mp.gov.in
Fax & Phone : 07141-234266

क्रमांक / मा.चि. / 507 बैतूल, दिनांक 18/04/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल

विषय :– बैतूल जिले के अन्तर्गत **"मेढ़ा मध्यम परियोजना"** के निर्माण हेतु 20.140 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्र./FP/MP/IRRIG/37074/2018)

संदर्भः–
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्र./6–MPR-025/2022–बी.एच.ओ. दिनांक 14.10.2022
2. आपका पृ. पत्र क्र./एफ–3/17/2019/10–11/2/3541 दिनांक 17.10.2022
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल का पत्र क्र./207/कार्य/2023 दिनांक 27.01.2023
4. उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.) का पत्र क्र./1768 दिनांक 26.12.2022
5. परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) का पत्र क्र./2008 दिनांक 23.12.2022

–00–

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा अतिरिक्त बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है। वनमंडल से संबंधित बिन्दु क्रमांक–01 के संबंध में निवेदन है कि प्रकरण में कक्ष क्रमांक पी–1101 में बांध निर्माण संबंधी गतिविधि एवं सफाई कार्य से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लघंन के संबंध में उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.)/परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा.)/परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.) के संदर्भित पत्रों से प्राप्त प्रतिवेदन की छायाप्रति मय सहपत्रों के संलग्न प्रेषित है। जिसके अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा वनभूमि पर डेम निर्माण संबंधी कोई गतिविधि एवं साफ–सफाई कार्य नहीं किया जाना प्रतिवेदित किया गया है। जिससे सहमत होकर मय अनुशंसा के प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वनमंडल से संबंधित बिन्दु क्रमांक–02 के संबंध में निवेदन है कि दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल की पूर्व से पोर्टल पर अपलोड़ KML फाईल शिफटेड (त्रुटिपूर्ण) होने के कारण कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी) सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा वर्ष 2018 में वनमंडल की उपलब्ध कराई गई अपडेटड KML फाईल ई–मेल एवं सॉफ्ट कापी में संलग्न प्रेषित है।

साथ ही भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा वेबपोर्टल अपलोड करते हुये हार्ड कापी वनमंडल कार्यालय में प्रस्तुत की है। जिसकी 03 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(विजयानन्तम टी.आर.)
भा.व.से
वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

पृ.क्रमांक / मा.चि. / **बैतूल, दिनांक /04/2023**

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य वनसंरक्षक बैतूल वृत्त, बैतूल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2 बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, ताप्ती (सामान्य)

E-Mail rottapti@mp.gov.in Phone : 07141-232534

क्रमांक / 2008 बैतूल, दिनांक 23/12/2022

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बैतूल

द्वारा :— उपवनमंडलाधिकारी आमला (सा)

विषय :— **बैतूल जिले के अन्तर्गत "मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना" के निर्माण हेतू 20.14 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।** (FP/MP/IRRIE/37074/2018)

संदर्भ :— **आपका पत्र क/मा.चि./7375 दिनांक 23.11.2022**

----000----

विषयोक्त संदर्भ में निवेदन है कि मेरे द्वारा दिनांक 06.12.2022 को परिक्षेत्र सहायक सेहरा, परिक्षेत्र सहायक झल्लार, बी.गा. टेमूरनी, बी.गा. पीपला एवं जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी घोडाडोंगरी, अनुविभागीय अधिकारी भैसदेंही, संलग्न अधिकारी बैतूल एवं उपयंत्री के हमराह बैतूल जिले के अन्तर्गत मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतू कक्ष कमांक P1101 का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया, मौका स्थल पर कक्ष कमांक P1101 के अन्दर मेंढा डेम निर्माण संबंधी कोई गतिविधी साफ–सफाई का कार्य नहीं किया गया है। मेंढा डेम निर्माण के अन्तर्गत कांक्रीट का कार्य किया गया है, जो कि निजी भूमि में किया गया है। अर्थ वर्क कार्य नदी में किया गया है जो कि सीमा के बाहर है। वनसीमा की जी.पी.एस., कांक्रीट कार्य की जी.पी. एस. रिडिंग एवं अर्थ वर्क की जी.पी.एस. रिडिंग का मौका पंचनामा मय मानचित्र के संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतू सादर प्रेषित है।

संलग्न :— मौका पंचनामा एवं मानचित्र।

2645
23/12/2022

वन परिक्षेत्र अधिकारी
ताप्ती (सामान्य)

पंचनामा

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले पंचगण यह बात की सही सही तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 06/12/2022 को श्रीमान कार्यपालन यंत्री [illegible] बैतूल के आदेश क्र./शा.लि./7375 बैतूल दिनांक 23/11/2022 के परिपालन में वन विभाग से श्रीमान वन परिक्षेत्र अधिकारी ताप्ती (सा.), परिक्षेत्र सहायक [illegible], परिक्षेत्र सहायक [illegible], बी.गा. [illegible], बी.गा. पीपला एवं जल संसाधन विभाग से श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी घोड़ाडोंगरी, अनुविभागीय अधिकारी [illegible], [illegible] अधिकारी बैतूल एवं [illegible] के द्वारा [illegible] परियोजना का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में यह पाया गया कि कक्ष क्र. P1101 के अंदर [illegible] डेम निर्माण संबंधी कोई भी गतिविधि एवं खुदाई कार्य नहीं किया गया है। [illegible] डेम निर्माण के अंतर्गत कांक्रिट का काम हुआ है जो कि निजी भूमि में किया गया है एवं अर्थवर्क (मिट्टी कार्य) नदी में किया गया है जो कि वन-सीमा क्षेत्र से बाहर है। उपरोक्त डेम संबंधी कार्य जो कि वनक्षेत्र से बाहर किये गए हैं कि जी.पी.एस. रीडिंग मौके पर जाकर नोट की गई।

वन-सीमा की GPS रीडिंग :-

① 21° 45' 26.084", 77° 48' 51.723"
② 21° 45' 28.438", 77° 48' 50.655"
③ 21° 45' 11.110", 77° 49' 22.120"
④ 21° 45' 12.07?, 77° 49' 20.414

कांक्रिट वर्क (वेस्टविअर) GPS रीडिंग :-

① 21° 45' 18.121"
77° 48' 50.371"

अर्थवर्क (मिट्टी कार्य) GPS रीडिंग

① 21° 45' 26.084"
77° 48' 51.723"

पंचनामा मौका स्थान पर बनाया, पढ़कर सुनाया जो सही पाया, बाद हस्ताक्षर किये।

06/12/22 A.O, W.R.D.W. [illegible] S.D.O Ghoradongri

6/12/22

[illegible] पीपला भानुप्रताप

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

अनुपमा मिश्रा (बी.गा. [illegible])

S/C

[illegible]

6/12/2022

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION NO II BETUL

Memo No ..../W/2023 Betul / Dated ...../..../2023

MENDA MEDIUM PROJECT
JUSTIFY NOTE

At the time of Survey there are three sites in consideration for the construction of Menda Medium Project but during the survey it is found that the site No 1 which is situated upstream of this proposed site having two much less Catchment / Live capacity also affecting more protected forest land same way on the downstream site of this selected scheme which is site No 3 will affect the protected forest so while considering all the aspect site no 2 is technically better among the three sites.

(A.K Verma)
Sub Divisional Officer
Water Resources Sub Division
Ghoradongri

(Vipin Wamankar)
Executive Engineer
Water Resources Division No II
Betul

Divisional Forest Officer (T.)
South, Betul Dn.

MENDA MEDIUM PROJECT

COMPARATIVE STATEMENT

S.No.	Site No	Catchment area Sqkm	Live Capacity Mcm	Category of affected forest land	Reason
1	2	3	4	5	6
1	Site No 1	958	36.57	PF 24.78	For required capacity height will be taken more than site No 2 therefore PF area increased
2	Site No 2	951	36.57	PF 20.14	Proposal sit is the best site as per required capacity and minimum forest because there is revenue land. Is available thus it is best site
3	Site No 3	945	36.57	PF 27.21	For required capacity height will be more than site No 2 and there is no revenue land available. Therefore more forest land required for construction of dam

Divisional Forest Officer (T.)
South, Betul Dn.

(A.K.Verma)
Sub Division Officer
Water Resources Sub Division
Ghoradongri

(Vipin Wamankar)
Executive Engineer
Water Resources Division No. II
Betul

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2,बैतूल

E-mail eewrdbetulmp@rediffmail.com (Fax No. 07141-238148) Phone No. 07141-238350

पत्र क्रमांक 207 / कार्य / 2023 बैतूल / दिनाँक 27-1-23

प्रति ,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण बैतूल (सा.) वनमंडल
बैतूल

विषय :- बैतूल जिले के अंतर्गत मेंढा सिंचाई परियोजना (पाईप लाईन) के निर्माण हेतु 20.14हे वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

सदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) के पत्र कमांक एफ. -3 / 17 / 2019 / 10- 11 / 2 / 3540 दिनांक 17.10.22

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना के वन प्रकरण पर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ली गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नानुसार है :-

क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	As per the DSS some cleaning and Dam construction activities are observed in forest comp. 1101, Beat-Pipla, Range-Tapti, Division-South Betul, DFO needs to recheck by revisiting the site and submit report w.r.t. violation of FCA	As per instruction of DFO South Betul by letter No 10/DM/7375 dated 23.11.22 to Range, Tapti Range, jointly visited and spot verified on dated 06.12.22. (Panchnama Report enclosed)
2	As per forest boundary, some part of submergence area is not marked in KML that is falling in forest compartment, Revised KML shall be uploaded on e-portal	As per instruction of DFO South Betul Jointly visited by forest field officer and staff and Water Resources Department field officer and staff on dated 06.12.22. As per field and forest boundary and actual KML of Tapti Range compartment no additional area affected in submergence of the Project
3	CA is proposed on revenue forest land of 44.28 ha out of this, 11.00 ha has MDF. This needs to be clarified / rectified.	Clarified and rectified by DFO, North and sent their report and certificate regarding CA land to PCCF (L&M) Bhopal by letter o /DM/2022/2194 dated 13.12.22
4	Some part of Proposed CA area (Survey No 17/1) is overlapping with another proposal No FP/MP/IRRIG/37077/2018, Area-1.987 Ha. This needs to be rectified.	Revised KML File has been uploaded on web portal.

5	Compartment wise breakup of land required and component wise calculation with the layout plan shall be submitted	Compartment wise breakup of land required and component wise calculation with layout plan have been uploaded on web portal
6	KML File of layout plan of forest area and non forest area shall be submitted / uploaded on e-portal.	KML File of FTL and forest land marking of the project prepared and uploaded on web portal (From-A Part-I point No –C)
7	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO Shall be submitted	Copy of approved muck calculation and muck disposal scheme has been uploaded on web portal and hard copy also submitted for further action.
8	Justification for location of the project in forest land (Counter signed by DFO) needs to be submitted	Justification for location of the project in forest land (Counter signed signed by DFO South Betul) has been uploaded on web portal
9	No objection certificates of concerned department (Railway, Road, TL etc) shall be submitted	Authority letter by department regarding no objection certificates has been submitted for necessary action.
10	As per SIR of DFO, 144 families are affected, thus, rehabilitation plan shall be submitted	R&R plan for affected families prepared and submitted for necessary action.

अतः निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी वेबपोर्टल पर अपलोड कर हार्ड कापी 04 प्रतियो मे आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ~~सादर~~ प्रस्तुत है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(विपिन वामनकर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2
बैतूल

पृ. क्र. 208 / कार्य / 2023 बैतूल / दिनाँक 27-1-23

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला बैतूल की ओर सादर सूचनार्थ।
5. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग घोड़ाडोंगरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

(विपिन वामनकर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2
बैतूल

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक–2,बैतूल
E-mail eewrdbetulmp@rediffmail.com (Fax No. 07141-238148) Phone No. 07141-238350

पत्र क्रमांक --------- / कार्य / 2023 बैतूल / दिनाँक ----------

मेंढा मध्यम परियोजना

प्रमाणित किया जाता है कि मेंढा मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र के अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के कम्पार्टमेंट नं. 1100, 1101, 1119, एवं 1080 कुल रकबा 20.14हे भूमि किसी भी प्रकार से नेशनल हाईवे, स्टेट सड़क, ग्रामीण सड़क एवं रेल्वे को क्रास नही कर रही है।

(विपिन वामनकर)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक 2
बैतूल

मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम–मेंढा

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या– मकानों की संख्या 70

वयस्क परिवार 214

अ भू–अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू–अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब को 1.400हे. तक भूमि दी जावेगी।	विस्थापित ग्राम मेंढा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू–खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप–IV नियम–9 के अनुसार।			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्याकंन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि – 198.20 दोगुना राशि – 396.40			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची कमांक 1 पेरा–2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये वित्तिय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये।	214	150000.00	32100000	भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 3 के अनुसार।

	पुर्नवास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया	ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म.प्र.शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।			भू. अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से दक्षता का विकास	म.प्र.शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।			भू. अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्ब के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रू. 3000/- के समतुल्य अवार्ड की तारीख से मंजूर किया जावेगा।	214	36000.00	7704000	भू. अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रूपये दिये जायेगें।	70	25000.00	1750000	भू--अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन	भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा।			भू--अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार	विभाग द्वारा अनुशंसा की जावेगी।			भू. अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क्र. 9 के अनुसार।

पुर्नवास अनुदान का विवरण		पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
11	मकानो की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओ के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	70	50000.00	3500000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क 6 के अनुसार।
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरो	6	25000.00	150000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एव रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क 11 के अनुसार।

(डी.के.गुप्ता)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोंगरी

(ए.के.देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमांक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भैंसदेही

[illegible] मध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम कोलियापाक

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या मकानों की संख्या 22

वयस्क परिवार 62

[illegible] भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

[illegible] भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

	पुनर्वास अनुदान का विवरण	मात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	[illegible] परन्तु [illegible] के लिये प्रत्येक कुटुम्ब को [illegible] तक भूमि दी जावेगी।	विस्थापित ग्राम कोलियापाक के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू-खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च [illegible] किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि - 57.48 दोगुना राशि - 114.95			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची क्रमांक , सेरा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये वित्तीय सहायता एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये।	62	150000.00	9300000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार।

[illegible]	पुनर्वास एवं व्यवस्थापन का विवरण	मान्य प्रभावित परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि (लाख में)	[illegible]
[illegible]	[illegible] 2	3	4	5	[illegible] 6
5	माहत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जावेगा।	ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म.प्र.शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकमों के माध्यमों से दक्षता का विकास	म.प्र.शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रू. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	62	36000.00	2232000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रूपये दिये जायेगें।	22	25000.00	550000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन	भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का पावधान किया जावेगा।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार	विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।
11	भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	22	50000.00	1100000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।

	विवरण	पात्र वयस्क परिवार	मद प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरो	4	25000.00	100000	भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एव रजिस्ट्रीकरण फीस मे छूट	स्टाम्प शुल्क एव रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार।

(डी.के.गुप्ता)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोंगरी

(ए.के.देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमाक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बैतूल

गेंवा मध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम--खापा

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या-- मकान संख्या 113

वयस्क परिवार 210

अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब को 0.400है. तक भूमि दी जावेगी।	विस्थापित ग्राम खापा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू-खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि – 201.91 दोगुना राशि – 403.81			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची कमांक 1 धारा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये वित्तिय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रूपये।	210	150000.00	31500000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार।

Men20

	पुर्नवास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि , लाख में	प्रावधान
	2	3	4	5	6
5	महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया	ग्रामीण एवं पचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म.प्र.शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से दक्षता का विकास	म.प्र.शासन ग्रामीण एव पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्बो के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रू. 3000/– के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	210	36000.00	7560000	भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/– रूपये दिये जायेगें।	113	25000.00	2825000	भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन	भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईंधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का पावधान किया जावेगा।			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार	विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।			भू–अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।

	पुर्नवास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
	2	3	4	5	6
11	भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	113	50000.00	5650000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों	6	25000.00	150000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क 11 के अनुसार।

(डी.के.गुप्ता)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोंगरी

(ए.के.देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमांक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भैसदेही